

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

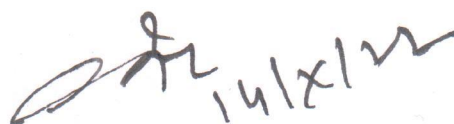
क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला जैसलमेर के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

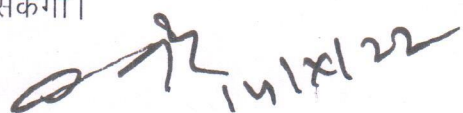
1.	श्री हेमाराम चौधरी	मंत्री	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2.	श्री उम्मेद सिंह तंवर, जैसलमेर		उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रसाल कंवर पत्नी श्री लखसिंह	प्रधान, पं.स. जैसलमेर	सदस्य
4.	श्रीमती दोली देवी	प्रधान, पं.स. भाणियाणा	सदस्य
5.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	प्रधान, पं.स. नाचना	सदस्य
6.	श्री मुल्तानाराम बारूपाल		सदस्य
7.	श्रीमती ललिता डागला, एम-46, हाउसिंग बोर्ड, जैसलमेर		सदस्य
8.	प्रेमलता चौहान (ओबीसी), तालरियापाडा, जैसलमेर		सदस्य
9.	श्री रुपचंद सोनी		सदस्य
10.	श्री अब्दुला फकीर		सदस्य
11.	श्री कमलेश छंगाणी, छंगाणी पाडा, जैसलमेर		सदस्य
12.	श्री विजय व्यास, पोकरण, जैसलमेर		सदस्य
13.	श्री अर्जुन दैया, ग्रा पो रामगढ, जिला जैसलमेर		सदस्य
14.	श्री मेघराज परिहार, अमरसागर, जैसलमेर		सदस्य
15.	श्री रउब खान मेहर, पोकरण, जैसलमेर		सदस्य
16.	श्री मनोज कुमार सोलंकी, ग्रा पं खुईवाला, जिला जैसलमेर		सदस्य
17.	श्री गोरधन सिंह, ग्रा पं मूलाना, जैसलमेर		सदस्य
18.	श्री मोहम्मद रफीक, डिब्बा पाडा, जैसलमेर		सदस्य
19.	श्री गोविन्द भार्गव, रामगढ, जैसलमेर		सदस्य


14/10/22

20.	श्रीमती सुनीता भाटी	सदस्य
21.	श्री शंकर लाल माली	सदस्य
22.	श्रीमती अंजना मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख	सदस्य
23.	श्री अमृत लाल बिश्नोई, ग्रा.पो. धौलिया	सदस्य
24.	श्री खट्टन खान, जैसलमेर	सदस्य
25.	श्री मूलाराम चौधरी, पूर्व, प्रधान, जैसलमेर	सदस्य
26.	श्री शंकर सिंह करड़ा, ग्रा.पो. करड़ा	सदस्य
27.	श्री नखत सिंह भाटी, ग्रा. पो. तेजमालता	सदस्य
28.	श्री देवकाराम माली	सदस्य
29.	श्री रुपचन्द सोनी, ग्रा.पो. मोहनगढ	सदस्य
30.	श्री अब्दुल्ला फकीर, भागू का गांव, जैसलमेर	सदस्य
31.	श्री मुत्तानाराम बारुपाल, पूर्व विधायक, अम्बेडकर कॉलोनी, जैसलमेर	सदस्य
32.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
33.	जिला प्रमुख	सदस्य
34.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
35.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
36.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्	सदस्य
37.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
38.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:—

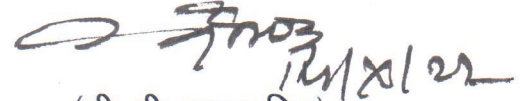
1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।

 14/12/22

4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

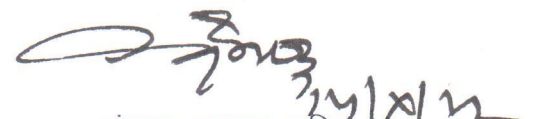
इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,


(सी. पी. मण्डावरिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
12. जिला कलेक्टर, जैसलमेर को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम जिला प्रथम स्तरीय समिति, जिला जैसलमेर।
14. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
15. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
16. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
17. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/ 82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
18. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

नोट:- समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।